

संख्या

3377 / एस0ई0(एच0क्यू0) / 93

दिनांक 5-9-2013

कार्यालय आदेश

मा0 परिषद की 225 वीं बैठक दिनांक 14.08.2013 के मद संख्या-225/9 पर परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क0सं0 परियोजना आई.डी.नं.	योजना / परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	095057 अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-3 में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित निम्नलिखित विभिन्न श्रेणी के फ्लैट्स (बी.+एस.+17 मंजिले) का निर्माण कार्य। 1- 2 बी0एच0के0+स्टडी (सी टाइप) - 68 नग 2- 2 बी0एच0के0+स्टडी (डी टाइप) - 204 नग 3- 3 बी0एच0के0+सर्वेन्ट (जी टाइप) - 128 नग 4- 3 बी0एच0के0+सर्वेन्ट(एच टाइप-1)- 392 नग 4- 3 बी0एच0के0+सर्वेन्ट(एच टाइप-2)- 196 नग कुल 988 नग	36690.00	29 / 57

- 1- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- 2- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 3- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- निविदाओं का आमंत्रण पंजीकरण के आधार पर किया जाय।
- 5- फ्लैटों का निर्माण एयर ट्रेफिक कन्ट्रोल, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जाय।
- 6- प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने का यथा सम्भव प्रयास किये जाय।
- 7- निर्धारित समयवधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय-समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
- 9- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- 10- कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय सारणी (बार चार्ट) बनायी जाय।
- 11- कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
- 12- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- 13- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।

(Handwritten Signature)
10519-13
(डी0के0त्यागी)

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)
408